

## भाग—V

(इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार से किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

पंचाब सं.- 49983/2020

18— राज्य सरकार की सिफारिश

(उपर्युक्त भाग ख या भाग ग भाग घ में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

Ch. १८८ की संस्तुति  
के आधार पर स्वीकृतार्थ  
संस्तुति की जाती है।

W

Anupam Gupta  
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer  
Forest Conservation Act. 1980  
U.P. Lucknow

हस्ताक्षर

नाम—

दिनांक— 5/7/21

स्थान— .....

सरकारी मोहर